



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 / 12 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla, the 1st April, 2025

No. Fin-2-C(12)1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of
02—राजपत्र / 2025—02—04—2025 (53)

Rs. **900 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai -400 001 on **April 03, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **April 03, 2025**:

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **April 04, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **April 04, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **10-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on **April 04, 2025**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **April 04, 2035**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **October 04 and April 04**.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DR. ABHISHEK JAIN, IAS)
Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th March, 2025

No. Per (AP.B) A (1)-1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to establish Directorate of Recruitment, H.P. at Shimla to carry out specific functions of nodal department to expedite the direct recruitment to the post of Junior Office Assistant (IT) and other Group-C posts, as assigned from time to time, in all the Departments etc. under the State Government to address the needs of the State to provide employment opportunities to the youths.

2. The HoD, staffing pattern, budgeting, financial powers, recruitment processes and Standard Operating Procedure etc. of the Directorate shall be notified separately.

3. The Directorate of Recruitment, H.P. will function as Department under the administrative control of the Department of Personnel in the premises of H.P. Secretariat, Shimla.

4. If any question arises as to the interpretation of any provision(s) of this notification, the State Government (in the Department of Personnel) shall decide the same and the decision so taken shall be final.

5. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-gazette) of Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-
(PRABODH SAXENA, IAS),
Chief Secretary.

GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Dated the 18th March, 2025

No. 3-229/06-GS.—In partial modification of this Secretariat Notification of even Number dated 31-03-2022 conferred under Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following Officer as Public Information Officer of Governor's Secretariat, Himachal Pradesh for citizens to secure access to information under the control of Public Authorities for promoting transparency and accountability in the working of Governor's Secretariat, Himachal Pradesh with immediate effect:

Designation	Complete Office Address.	Office Tel No.
Public Information Officer: Smt. Reetu Deep, Section Officer, Governor's Secretariat, H.P.	Governor's Secretariat, H.P. Shimla-2.	0177-2624152

Sd/-

*Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Ms. Shakuntla Devi d/o Sh. Labha Ram, r/o Village Kot Langsan, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Ms. Shakuntla Devi d/o Sh. Labha Ram, r/o Village Kot Langsan, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her birth event *i.e.* 18-11-1955 in the record of Gram Panchayat Kot Langsan, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Shakuntla Devi d/o Sh. Labha Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Ms. Jamna Devi d/o Sh. Veeru Ram, r/o V.P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) *.. Applicant.*

Versus

General Public

.. Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Ms. Jamna Devi d/o Sh. Veeru Ram, r/o V.P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth event *i.e.* 21-05-1963 in the record of Gram Panchayat Dhamrol, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Jamna Devi d/o Sh. Veeru Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Ms. Shilpa Patial d/o Sh. Shakti Chand, r/o Village Bassi, P.O. Bhoranj, Tehsil Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

*Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth and Death Registration Rules, 2003.*

Whereas, Ms. Shilpa Patial d/o Sh. Shakti Chand, r/o Village Bassi, P.O. Bhoranj, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her birth event *i.e.* 05-11-1974 in the record of Gram Panchayat Tikkari Manhasan, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Shilpa Patial d/o Sh. Shakti Chand may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Nirmla Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Nirmla Devi alias Asha Devi d/o Dharam Singh, r/o Village & P.O. Phagoti, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which has taken place on 20-09-1965 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Railli. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 20-09-1965, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-03-2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

कृष्ण कुमार सहगल पुत्र श्री राम लाल सहगल, निवासी गांव खतरेड, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

कृष्ण कुमार सहगल पुत्र श्री राम लाल सहगल, निवासी गांव खतरेड, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मनीश सहगल का जन्म दिनांक 23-11-1978 को गांव व डाकघर पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 07-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केसरी देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी गांव व डाकघर सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

केसरी देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी गांव व डाकघर सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1968 को गांव व डाकघर सकडी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 08-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

कृष्ण कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी गांव पंजियाला उपरला, डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

कृष्ण कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी गांव पंजियाला उपरला, डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री शेखर का जन्म दिनांक 20-10-2015 को गांव पंजियाला उपरला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2025 को सुबह

10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

महेश प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

महेश प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री दुर्गा प्रसाद की मृत्यु दिनांक 03-12-1981 को गांव मझैरना में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सुदर्शना देवी पुत्री श्री तुलसी राम, निवासी गांव गण्खेतर, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

सुदर्शना देवी पुत्री श्री तुलसी राम, निवासी गांव गण्खेतर, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1978 को गांव गण्खेतर में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

आशा देवी पुत्री श्री तुलसी राम, निवासी गांव कोटली, डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

आशा देवी पुत्री श्री तुलसी राम, निवासी गांव कोटली, डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 18-10-1979 को गांव कोटली, डा0 गुनेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 13/2025	तारीख दायरा 19-03-2025	तारीख पेशी 22-04-2025
---------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी श्री देविन्द्र सिंह अटवाल पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी हाऊस नं0 2668, वार्ड नं0 9, तहसील चौक कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री देविन्द्र सिंह अटवाल पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी हाऊस नं0 2668, वार्ड नं0 9, तहसील चौक कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 05-08-1957 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख Municipal Council Kangra के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 38/25/TEH	तारीख दायरा	तारीख पेशी 06-03-2025	04-04-2025
-----------------------	-------------	--------------------------	------------

प्रार्थी रविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र ठाकर, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल उपरला चतरेटा, पटवार वृत्त सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार पुत्र निर्मल सिंह दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम रविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम रविन्द्र कुमार के बजाए रविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह ठाकर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
08 / 2025

तारीख दायरा
22-02-2025

तारीख पेशी
04-04-2025

प्रार्थी देश राज पुत्र गणपत, निवासी गांव चकवन / टाण्डा खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी देश राज पुत्र गणपत, निवासी गांव चकवन / टाण्डा खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता श्रीमती खवली देवी पत्नी गणपत पुत्र लक्षमन की मृत्यु दिनांक 14-03-2007 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
11 / 2025	19-03-2025	22-04-2025

प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पत्नी चमारू राम हाल पत्नी देव राज, निवासी गांव कुलाकड़, डा0 धमेहड़ कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पत्नी चमारू राम हाल पत्नी देव राज, निवासी गांव कुलाकड़, डा0 धमेहड़ कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1961 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत धमेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
09 / 2025

तारीख दायरा
22-02-2025

तारीख पेशी
04-04-2025

प्रार्थी देश राज पुत्र गणपत, निवासी गांव चकवन / टाण्डा खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी देश राज पुत्र गणपत, निवासी गांव चकवन / टाण्डा खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता गणपत पुत्र लक्ष्मन की मृत्यु दिनांक 02-05-1990 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
12 / 2025

तारीख दायरा
22-02-2025

तारीख पेशी
22-04-2025

प्रार्थी मनोहर लाल पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव रूहालकड़, डा0 हार जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी मनोहर लाल पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव रूहालकड़, डा0 हार जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता श्रीमती सुखां देवी पत्नी किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 23-06-2016 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत हार जलाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-04-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी	
37/25/TEH		22-03-2025	22-04-2025

प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी महाल जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल चकवन नंदरूल, पटवार वृत्त नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसके दादा का नाम जहलू पुत्र कंचन दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम महाल जमानावाद के रिकार्ड में चिवड़ पुत्र कंचन दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम जहलू के बजाए चिवड़ उपनाम जहलू पुत्र कंचन जमाबन्दी, महाल नंदरूल में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 04-04-2025

कमलेश कुमारी पुत्री श्री रामधन, निवासी गांव फरेड, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया कमलेश कुमारी पुत्री श्री रामधन, निवासी गांव फरेड, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-11-1956 को गांव फरेड में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 24-04-2025

ज्ञान चंद पुत्र श्री रिखी राम, निवासी गांव शमूला, डाकघर फरेड, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी ज्ञान चंद पुत्र श्री रिखी राम, निवासी गांव शमूला, डाकघर फरेढ, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री रक्षा कुमारी पुत्री श्री ज्ञान चंद का जन्म दिनांक 15-06-1979 को गांव शमूला में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेढ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री रक्षा कुमारी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेढ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 24-04-2025

ज्ञान चंद पुत्र श्री रिखी राम, निवासी गांव शमूला, डाकघर फरेढ, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री ज्ञान चंद पुत्र श्री रिखी राम, निवासी गांव शमूला, डाकघर फरेढ, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री सुनीता देवी पुत्री श्री ज्ञान चंद का जन्म दिनांक 14-08-1976 को गांव शमूला में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेढ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री सुनीता देवी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेढ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 24-04-2025

बेवी कुमारी पुत्री श्री उत्तम चंद, निवासी गांव पनापर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती बेवी कुमारी पुत्री श्री उत्तम चंद, निवासी गांव पनापर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 10-03-1977 को गांव पनापर में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत पनापर के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पनापर के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-04-2025

राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री उत्तम चंद, निवासी गांव पनापर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री स्व० उत्तम चंद, निवासी गांव पनापर, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 09-01-1972 को गांव पनापर में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत पनापर के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पनापर के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 07-04-2025

श्रीमती जगतम्बा देवी पुत्री श्री किरपा पुत्र काहन, निवासी गांव महाल सलोह, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती जगतम्बा देवी पुत्री श्री किरपा पुत्र काहन, निवासी गांव महाल सलोह, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक व विख्यात नाम जगतम्बा देवी पुत्री स्व० श्री किरपा है परन्तु महाल सलोह के राजस्व अभिलेख में सहवन तम्बो देवी पुत्री स्व० श्री किरपा दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थिया अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्री/मुनादी चस्पांगी व इशतहार राजपत्र, हि०प्र० के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-04-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-04-2025

बन्दना (Bandna) देवी पत्नी निर्दोष कुमार, निवासी दरगील, डाकघर दियोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थिया बन्दना देवी पत्नी निर्दोष कुमार, निवासी दरगील, डाकघर दियोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थिया के पुत्र दिव्यांश गोस्वामी (Divyansh Goswami) के जन्म प्रमाण-पत्र स्कूल प्रमाण-पत्र में वन्दना देवी (Vandna Devi) है। परन्तु यह नाम की spelling गलत है, जबकि सही नाम बन्दना देवी (Bandna Devi) है। अब प्रार्थिया अपने नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम जन्म प्रमाण-पत्र व स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

जानकी राम सुपुत्र लच्छमण दास, निवासी भेट झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता भेट झिकली

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे।

जानकी राम सुपुत्र लच्छमण दास, निवासी भेठ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी सास श्रीमती जमना देवी की मृत्यु दिनांक 26-11-1999 को ग्राम पंचायत भेठ झिकली में हुई थी जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा। तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा पुनः जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 08/NT/RKT

सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री धर्म सिंह, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री धर्म सिंह, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि इनके पिता की मृत्यु 10-02-2023 को हो चुकी है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत तलाडा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत तलाडा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 09/NT/RKT

सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री धर्म सिंह, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाडा, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री धर्म सिंह, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि इनकी माता की मृत्यु 31-05-2021 को हो चुकी है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत तलाडा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत तलाडा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :

श्रीमती रानी देवी पुत्री सरनदास, निवासी गांव रैहन खास, डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रानी देवी पुत्री सरनदास, निवासी गांव रैहन खास, डाकघर रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-08-1970 को गांव व ग्राम पंचायत रैहन, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था, जिसे वह ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
13/RNT/2025

किस्म मुकद्दमा :
मृत्यु तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
09-04-2025

सत्या देवी पत्नी गुज्जर सिंह पुत्र खोजू राम, निवासी गांव ठेहड, डाकघर वेही पठीयार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन-पत्र।

आदेश

प्रार्थी गुज्जर सिंह ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सत्या देवी की मृत्यु तिथि 05-02-1974 दर्शाई गई है। प्रार्थी अपनी पत्नी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वेही पठीयार में दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के

हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सत्या देवी पत्नी गुज्जर सिंह की मृत्यु तिथि 05-02-1974 ग्राम पंचायत वेही पठियार में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 09-04-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि ग्राम वेही पठियार में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, exercising the Powers of
Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)**

In Ref. :

Sunny Kumar and Rucha Kumari

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Sunny Kumar son of Shri Kishori Lal, r/o Village Och, P.O. Gaggal Khas, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) and Rucha Kumari d/o Sh. Vinod Chaudhary, Village Tumkadiya, P.O. Ojhawaliya, Pat Khauli, West Champaran Bihar-845438.

If there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 14-05-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-SDM,
Dheera, District Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, exercising the Powers of
Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)**

In Ref.:

Arun s/o Fandi Ram and Sonu Verma d/o Satish Verma

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the registration of marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received from Arun DOB : 21-01-1993 s/o Fandi Ram, r/o Village & P.O. Marhoon, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) Pin-176092 and Sonu Verma DOB : 11-07-1999 d/o Satish Verma, r/o Ward No. 09, Housing Board Colony, Village Diffarpal, P.O. Bindraban, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) Pin-176061 on 17-07-2023 at Baba Sardha Singh Bhakti Mandi, Ashram Tanda, Rajpur (H.P.) vide Registration No. 108/Palampur (H.P.) dated 17-07-2023.

If there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 02-05-2025, otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-S.D.M.,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).*

**Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer, Tehsil Dheera,
Distt. Kangra (H.P.)**

In Ref.:

Vijay Kumar and Mehak Rana

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the registration of marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Vijay Kumar s/o Shri Vinod Kumar, resident of Village Darman, Ward No.-04, P.O. Purba, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) and Mehak Rana d/o Shri Raj Kumar, resident of Village Gagoti, P.O. Kiarwan, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) Pin Code-176084.

If there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel by submitted to this office on or before 06-05-2025, otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-S.D.M.,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Shamsheer Mehta s/o Sh. Harvinder Mehta, r/o Village Mohli, P.O. Danawali, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

2. Tanya Jolly d/o Sh. Sanjeev Jolly, r/o House No. 136, Ward No. 11, Shastri Nagar Kullu, P.O. Dhalpur, Tehsil and District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shamsheer Mehta and Tanya Jolly have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-02-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 21-04-2025. The objection received after 21-04-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-03-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री अवयान शर्मा पुत्र श्री अनुराग, निवासी गांव सलाह, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री अवयान शर्मा पुत्र श्री अनुराग, निवासी गांव सलाह, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, Additional District Registrar (Birth &

Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 29-06-2021 को निवासी गांव सलाह, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत, नगर परिषद् तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असागतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती प्रभी देवी पुत्री श्री डुमणू राम, निवासी गांव निचली बेहली, डाकघर अप्पर बेहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती प्रभी देवी पुत्री श्री डुमणू राम, निवासी गांव निचली बेहली, डाकघर अप्पर बेहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, Additional District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-05-1959 को निवासी गांव निचली बेहली, डाकघर अप्पर बेहली, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असागतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती माया देवी पुत्री श्री गान्धी राम, निवासी अप्पर हरीपुर, डाकघर चतरोखड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती माया देवी पुत्री श्री गान्धी राम, निवासी अप्पर हरीपुर, डाकघर चतरोखड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 02-12-1957 को निवासी अप्पर हरीपुर, डाकघर चतरोखड़ी, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(राजवीर वर्मा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती रतना देवी पुत्री श्री कर्म सिंह, निवासी गांव भरडवाहन, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत, कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती रतना देवी पुत्री श्री कर्म सिंह, निवासी गांव भरडवाहन, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, Additional District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 17-01-1973 को निवासी गांव भरडवाहन, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत, कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत, कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती तारा देवी सुपुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर सधोट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 25-03-1961 है, जोकि ग्राम पंचायत सधोट के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सधोट के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

Dated 18-03-2025

1. Sh. Man Singh s/o Sh. Madan Lal, r/o House No. 17/4, Salah Bhojpur, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)
2. Anjna Kumari d/o Sh. Prem Dass, r/o Village Tawan, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Man Singh s/o Sh. Madan Lal, r/o House No. 17/4, Salah Bhojpur, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Man Singh and Anjna Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 17-10-2000 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-04-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18-03-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**Before Sh. Mehar Singh, Assistant Collector, 2nd grade, Sub-Tehsil Bagshar,
District Mandi, H. P.**

File No. : 02/2025

Date of institution : 18-03-2025

In the matter of :—

Hem Prakash s/o Khyali Ram, r/o VPO Shakra, Sub-Tehsil Bagshar, District Mandi (H.P.)
. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION FOR THE CORRECTION OF NAME IN REVENUE RECORDS

An application has been filed by the aforesaid applicant in which he has submitted that his name is registered as Prakash Chand s/o Khyali Ram, in revenue record of Muhal Shakra/137, Village Revenue Circle Shakra, but his name is Hem Prakash in Gram Panchayat record and in all other photo ID's. That the applicant requested to change his name in revenue record from Prakash Chand to Hem Prakash.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this name correction can file the objection(s) personally or in writing before this court on or before 22-04-2025 from the date of this notice after that no objection(s) will be entertained and the name shall be corrected accordingly.

Issued today on 18th day of March, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade, Bagshar,
District Mandi (H. P.).

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राजेश कुमार हाल निवासी ग्राम कुकडेच, डा0 हल्लां, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम कुकडेच, डा0 हल्लां, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राजेश कुमार निवासी ग्राम कौल, तहसील ढांड, जिला कैथल हरियाणा, निवासी ग्राम कुकडेच, डा0 हल्लां, ग्राम पंचायत नाया-पंजोड, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2024-11379 दिनांक 15-02-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि 14-02-2023 को ग्राम पंचायत नाया-पंजोड के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10 आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राजेश कुमार हाल निवासी ग्राम कुकडेच, डा0 हल्लां, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 17-04-2025 को सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में पार्थ पुत्र श्री राजेश कुमार व श्रीमती कमलेश की जन्म तिथि

14-02-2023 को ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2025

तारीख मरजुआ : 15-03-2025

श्रीमती पानो देवी पुत्री देविया व देवकू, निवासी ग्राम घील पबियाना, डा0 पबियाना, ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती पानो देवी पुत्री देविया व देवकू, निवासी ग्राम घील पबियाना, डा0 पबियाना, ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म की तिथि ग्राम पंचायत सेर जगास के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। आवेदिका के अनुसार उनका जन्म दिनांक 23-02-1984 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत सेर जगास के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को पानो देवी पुत्री देविया व देवकू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेर जगास में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व सचिव, ग्राम पंचायत सेर जगास को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03/2025

तारीख मरजुआ : 15-03-2025

श्री गगन बहादुर पुत्र तेज बहादुर व कमला देवी, निवासी ग्राम नेई नैटी, डा0 शरगांव, ग्राम पंचायत नेई नैटी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री गगन बहादुर पुत्र तेज बहादुर व कमला देवी, निवासी ग्राम नेई नैटी, डा0 शरगांव, ग्राम पंचायत नेई नैटी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेई नैटी के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सका। आवेदक के अनुसार उनका जन्म दिनांक 26-01-1967 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत नेई नैटी के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को गगन बहादुर पुत्र तेज बहादुर व कमला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेई नैटी में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व सचिव, ग्राम पंचायत नेई नैटी को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 02/2025

तारीख मरजुआ : 15-03-2025

श्रीमती कौशल्या पुत्री दलीप सिंह व पलका देवी, निवासी ग्राम सरियुन, डा0 व ग्राम पंचायत शलाणा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती कौशल्या पुत्री दलीप सिंह व पलका देवी, निवासी ग्राम सरियुन, डा0 व ग्राम पंचायत शलाणा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शलाणा के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। आवेदिका के अनुसार उनका जन्म दिनांक 07-08-1963 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत शलाणा के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कौशल्या पुत्री दलीप सिंह व पलका देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शलाणा में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व सचिव, ग्राम पंचायत शलाणा को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

ब मुकद्दमा श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह, गांव उभेता, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा अशयाडी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह, गांव उभेता, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह पुत्र कालू है जबकि मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जगदीश पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह पुत्र कालू दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में जगदीश पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह पुत्र कालू के स्थान पर जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरत सिंह पुत्र कालू दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 को सायं 05.00 बजे तक

दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख, मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई में जगदीश पुत्र स्व० श्री सुरत सिंह पुत्र कालू के स्थान पर जगत सिंह पुत्र स्व० श्री सुरत सिंह पुत्र कालू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकद्दमा श्री सन्त राम पुत्र पांजी राम, गांव बसोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा अशयाडी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सन्त राम पुत्र पांजी राम, गांव बसोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पिता का सही नाम पांजी राम पुत्र कालू है जबकि मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम धन्ना पुत्र कालू दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में धन्ना पुत्र कालू के स्थान पर पांजी पुत्र कालू दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 को सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख, मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई में धन्ना पुत्र कालू के स्थान पर पांजी पुत्र कालू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकद्दमा श्री चेत राम पुत्र श्री कलमू, गांव चियाली (नलेणी), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गवाली के मौजा मटियाना के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री चेत राम पुत्र श्री कलमू गांव चियाली (नलेणी), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका सही नाम श्री चेत राम पुत्र श्री कलमू है जबकि मौजा मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम चेतू पुत्र कलमू दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में चेतू पुत्र कलमू के स्थान पर चेत राम पुत्र कलमू दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 को सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख, मौजा मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई में चेतू पुत्र कलमू के स्थान पर चेत राम पुत्र कलमू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री जगत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, गांव चणकोली मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त मिल्ला के मौजा मिल्ला-मागनल के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री जगत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, गांव चणकोली मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पिता का सही नाम प्रेम सिंह पुत्र दासू है जबकि मौजा मिल्ला मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम पुनीया पुत्र दासू दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम मौजा मिल्ला मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में पुनीया पुत्र दासू के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र दासू दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 को सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख, मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई में पुनीया पुत्र दासू के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र दासू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

ब मुकद्दमा श्री गंभीर सिंह चौहान पुत्र श्री प्रताप सिंह चौहान, गांव मंझगांव कवाणू, डा0 कवाणू, तहसील चकराता, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) व नीलम पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी मटियाना, डा0 शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त पटवार वृत्त गवाली के मौजा मानल व गवाली-पश्मी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

गंभीर सिंह चौहान पुत्र श्री प्रताप सिंह चौहान, गांव मंझगांव कवाणू, डा0 कवाणू, तहसील चकराता, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) व नीलम पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी मटियाना, डा0 शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि गंगवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह और लीला देवी पुत्री प्रताप सिंह ये दोनों नाम मौजा मानल व गवाली-पश्मी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हैं जबकि सही नाम क्रमशः गंभीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह तथा नीलम पुत्री प्रताप सिंह हैं। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम मौजा मानल व गवाली-पश्मी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में गंगवीर पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर गंभीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह तथा लीला देवी पुत्री प्रताप सिंह के स्थान पर नीलम पुत्री प्रताप सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 को सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख, मौजा मानल, गवाली-पश्मी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई में गंगवीर पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर गंभीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह तथा लीला देवी पुत्री प्रताप सिंह के स्थान पर नीलम पुत्री प्रताप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 4 / 13(3) of 2025

तारीख मजरूआ : 19-03-2025

तारीख पेशी : 25-04-2025

प्रार्थी श्री हर्ष चौहान पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी खुड, डाकघर जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री हर्ष चौहान पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी खुड, डाकघर जरग, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 24-05-2005 को ग्राम पंचायत खुड में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25-04-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 5 / 13(3) of 2025

तारीख मजरूआ : 19-03-2025

तारीख पेशी : 25-04-2025

प्रार्थिया श्रीमती रूणी देवी पुत्री स्व० श्री केहरु, निवासी बांदल, डाकघर भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती रूणी देवी पुत्री स्व० श्री केहरु, निवासी बांदल, डाकघर भाटगढ़, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की जन्म मिति 07-05-1959 को ग्राम पंचायत भाटगढ़ में हुआ था, लेकिन

वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज न करवा सकी जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले दुरुस्ती में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25-04-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री गोविन्द पुत्र श्री सिंघा, निवासी गांव धार, डाकघर कोटी उत्तरोऊ, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री गोविन्द पुत्र श्री सिंघा, निवासी गांव धार, डाकघर कोटी उत्तरोऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में अपना नाम विरेन्द्र पुत्र सिंघा के स्थान पर गोविन्द पुत्र सिंघा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम विरेन्द्र पुत्र सिंघा के स्थान पर गोविन्द पुत्र सिंघा दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह, निवासी गांव धार, डाकघर कोटी उत्तरोऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह, निवासी गांव धार, डाकघर कोटी उत्तरोऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में अपनी जाति ढाकी के स्थान पर बाढी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में वादी की जाति ढाकी के स्थान पर बाढी दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री सन्त राम पुत्र श्री जिवन सिंह, निवासी गांव दिगवा, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा कोटी उत्तरोऊ के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सन्त राम पुत्र श्री जिवन सिंह, निवासी गांव दिगवा, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में अपने पुत्र का नाम अनील पुत्र सन्त राम के स्थान पर कमल ठाकुर पुत्र सन्त राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में वादी के पुत्र का नाम अनील पुत्र सन्त राम के स्थान पर कमल ठाकुर पुत्र सन्त राम दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा किया जारी गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री सबला राम पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव चाकरी, डाकघर बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा बाली कोटी व बोबरी के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सबला राम पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव चाकरी, डाकघर बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक मौजा बाली कोटी व बोबरी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम सबल सिंह पुत्र सुख राम के स्थान पर सबला राम पुत्र सुख राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा बाली कोटी व बोबरी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सबल सिंह पुत्र सुख राम के स्थान पर सबला राम पुत्र सुख राम दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मौजा बाली कोटी व बोबरी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में सबल सिंह पुत्र सुख राम के स्थान पर सबला राम पुत्र सुख राम दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री भवान सिंह पुत्र श्री पंच राम, निवासी ग्राम पावरी, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा शिरी क्यारी व काण्डो भटनोल के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री भवान सिंह पुत्र श्री पंच राम, निवासी ग्राम पावरी, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी मौजा शिरी क्यारी व काण्डो भटनोल के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम देवी सिंह पुत्र सबला के स्थान पर पंच राम पुत्र सबला दर्ज करवाना चाहता है।

मामले में सुनवाई के दौरान वादी तथा वादी के भाई रतन सिंह व ग्यार सिंह ने इस अदालत में हाजिर आकर ब्यान कलमबन्द किये कि उनके पिता देवी सिंह व पंच राम पुत्रगण सबला का आपस में जोड़ीदार विवाह था, जिससे उनके तीन पुत्र रतन सिंह, ग्यार सिंह, भवान सिंह व तीन पुत्रियां विद्या देवी, दुर्गी देवी व बारो देवी पैदा हुए थे। मौजा शिरी क्यारी व काण्डो भटनोल के राजस्व अभिलेख में वादी व वादी के सभी भाइयों के पिता का नाम देवी सिंह दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख के अतिरिक्त अन्य सभी रिकार्ड जैसे पंचायत परिवार नकल, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में वादी श्री भवान सिंह के पिता का नाम पंच राम दर्ज है, जोकि सही है। वादी के भाइयों ने यह भी ब्यान किया है कि मौजा शिरी क्यारी व काण्डो भटनोल के राजस्व अभिलेख में भी वादी के पिता का नाम देवी सिंह के स्थान पर पंच राम दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा शिरी क्यारी व काण्डो भटनोल के राजस्व अभिलेख में वादी भवान सिंह के पिता का नाम देवी सिंह पुत्र सबला के स्थान पर पंच राम पुत्र सबला दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-04-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 1 / 2025

तारीख पेशी : 25-04-2025

श्री मांगा राम पुत्र श्री सालकू, निवासी गांव लानामशूर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री मांगा राम पुत्र श्री सालकू, निवासी गांव लानामशूर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1963 है, जो ग्राम पंचायत रेडली के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रूपेन्द्र पुत्र श्री बलदेव, निवासी ग्राम व डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री रूपेन्द्र पुत्र श्री बलदेव, निवासी ग्राम व डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुत्री का नाम गुंजन के स्थान पर गुंजन (Gunjan) दुरुस्त करवाने बारे आग्रह किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात में उसका नाम गुंजन है जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम गुंजन दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ छायाप्रति आधार कार्ड, हिमाचली प्रमाण—पत्र, स्कूल प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र तथा ब्यान हल्फिया आदि संलग्न कर इन सभी दस्तावेजात के आधार पर सही नाम की दुरुस्ती करवाकर गुंजन के स्थान पर गुंजन (Gunjan) दर्ज करवाने बारे आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 21-04-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर प्रार्थी की पुत्री गुंजन के स्थान पर गुंजन (Gunjan) दुरुस्त कर दर्ज कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 20-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) नाहन,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सोहन सिंह, निवासी गांव रैन पिरगड़ी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

“अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सोहन सिंह, निवासी गांव रैन पिरगड़ी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-13515 दिनांक 20-03-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, रिपोर्ट स्थानीय रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत थाना कसोगा, परिवार रजिस्टर की प्रति, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1940 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज ना करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 23-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सोहन सिंह, निवासी गांव रैन पिरगड़ी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 की जन्म तिथि 01-07-1940 ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 24-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) नाहन,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री गौरा दत्त, निवासी गांव कांगर घूण्ड डाकघर बनेठी एवं ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

“अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री गौरा दत्त, निवासी गांव कांगर घूण्ड डाकघर बनेठी एवं ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-11140 दिनांक 07-02-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, रिपोर्ट ग्राम पंचायत नौणी, परिवार रजिस्टर की प्रति, दो गवाहन के ब्यान हल्फी आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 15-08-1958 है, जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज ना करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 23-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री गौरा दत्त, निवासी गांव कांगर घूण्ड, डाकघर बनेठी एवं ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 की जन्म तिथि 15-08-1958 ग्राम पंचायत नौणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 24-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Smt. Sharda w/o Sh. Triveni Kumar, Resident of Village Panjog, Post Office Mashobra,
Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Sharda w/o Sh. Triveni Kumar, Resident of Village Panjog, Post Office Mashobra, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P. has filed an application alongwith affidavit

in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her son named Naitik Sharma s/o Smt. Sharda and Sh.Triveni Kumar, Village Panjog, Post Office Mashobra, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P. in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Naitik Sharma	Son	23-03-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 25-03-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla Rural,
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Amjad Khan s/o Mohd. Ayub, r/o H. No. 234, Ward No. 07, Ahmedgarh, Sangrur, Punjab 148021 Age 34 years.

2. Ms. Shikha Malik d/o Sh. Dalip Kumar, r/o Village Dhanul, P.O. Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla (H.P.) Age 28 years.

Versus

General Public

Registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954

Sh. Amjad Khan s/o Mohd. Ayub, r/o H. No. 234, Ward No. 07, Ahmedgarh, Sangrur, Punjab 148021 and Ms. Shikha Malik d/o Sh. Dalip Kumar, r/o Village Dhanul, P.O. Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla (H.P.) have file application alongwith affidavits in the Court of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within 30 days from the date thereof.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 20-03-2025.

Seal.

Sd/-
Additional District Registrar of Marriage-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).

ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता वर्ग-2, कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 13 / C / 2024

किस्म वाद : दुरुस्ती नाम

तारीख दायर : 04-12-2024

श्रीमती तारा पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह पुत्र नरायण दास, निवासी गांव कनाहर, डाकघर कनाहर,
उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादिया।

बनाम

समस्त आम जनता

प्रतिवादीगण।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37, 38 के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती श्रीमती तारा पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह पुत्र नरायण दास, निवासी गांव कनाहर, डाकघर कनाहर, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने दिनांक 02-12-2024 को इस कार्यालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम उसके आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में तारा पत्नी हरी सिंह दर्ज है, जोकि सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नम्बर 76/172 मोहाल उप-मोहाल कनाहर, हदबस्त नम्बर 45/2, जमाबन्दी वर्ष 2018-2019, पटवार वृत्त मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 में प्रार्थिया का नाम कमलेश पत्नी हरी सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। इसलिए प्रार्थिया अब अपना नाम राजस्व अभिलेख में कमलेश के स्थान पर तारा दुरुस्त दर्ज करना चाहती है।

अतः प्रतिवादीगण/आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दुरुस्ती उक्त राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-04-2025 तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार दुरुस्ती आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 33 / 2025

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर : 19-03-2025

मुकद्दमा शीर्षक : श्री भगत राम पुत्र स्व० जिवणू, निवासी गांव व डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि० प्र०, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर-धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री भगत राम पुत्र स्व० जिवणू, निवासी गांव व डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता का नाम राजस्व कागजात माल उप-महाल कान्धार में जालकू पुत्र बांकू गलत दर्ज हुआ है, जोकि वादी के पिता का नाम मुताबिक मोहाल खनेरी के राजस्व कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर एवं जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार जिवणू पुत्र बांकू है जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा कान्धार में अपने पिता का सही नाम जिवणू दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों में पाया गया कि आवेदक के पिता जीवणू का नाम राजस्व माल कागजात मौजा कान्धार में जालकू पुत्र बांकू गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता का नाम नकल परिवार व मुताबिक ब्यानात वाहशन्दगान देह में जीवणू पुत्र बांकू सही है जिसे दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी भगत राम के पिता जिवणू का नाम राजस्व कागजातमाल मौजा काण्धार में जालकू पुत्र बांकू के स्थान पर जालकू उर्फ जिवणू पुत्र बांकू दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-04-2025 से पूर्व अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 22-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)**

Sh. Dinanath s/o Sh. Devi Ram, r/o Village & Post Office Chaily, Tehsil & District Shimla,
H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Dinanath s/o Sh. Devi Ram, r/o Village & Post Office Chaily, Tehsil & District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his/her self Dinanath as 12-02-1967 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Chaily, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Dinanath	Self	12-02-1967

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Chaily, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-03-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sarita Devi d/o Late Sh. Satnu Ram, r/o Village Gumma, P.O. Tikkri, Tehsil Chirgaon,
District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Sarita Devi d/o Late Sh. Satnu Ram, r/o Village Gumma, P.O. Tikkri, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of herself (Sarita Devi) (01-05-1983) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Tikkri, Block Chhohara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Sarita Devi) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this March, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Kedi d/o Sh. Suram Dass, r/o Village Kumrara, P.O. Kanthili, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Kedi d/o Sh. Suram Dass, r/o Village Kumrara, P.O. Kanthili, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of herself (Kedi) (09-06-1980) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Dhagoli, Block Chhohara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Kedi) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Pritam Chand s/o Late Sh. Hinsru, r/o Village Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon,
District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Pritam Chand s/o Late Sh. Hinsru, r/o Village Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of himself (Pritam Chand) (28-02-1980) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Diswani, Block Chhohara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Pritam Chand 28-02-1980) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Ms. Bindu Hans d/o Sh. Desh Raj and w/o Sh. Ajay Gauri, r/o House No. 1318, Singa Devi
Colony, Near Naada, Naya Gaon, SAS Nagar, Mohali, Punjab-160103 . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Bindu Hans d/o Sh. Desh Raj and w/o Sh. Ajay Gauri, r/o House No. 1318, Singa Devi Colony, Near Naada, Naya Gaon, SAS Nagar, Mohali, Punjab-160103 has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely BINDU HANS (DOB-04-02-1977) at Ava Lodge Near Boys Hostel, Chaura Maidan, Shimla, H.P. in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kamlesh Kumari w/o Late Sh. Sada Ram, r/o VPO Salnoo, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card & Panchayat Records my name is wrongly recorded as Kamla. My correct name is Kamlesh Kumari. All concerned note.

KAMLESH KUMARI
*w/o Late Sh. Sada Ram,
r/o VPO Salnoo,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ram Chander Gupta s/o Sh. Ram Lakhan, Ward No.-2, Prem Ghat, Theog, Tehsil Theog, (T) Shimla (H.P.)-171201 declare that my daughter's name Shrada Gupta (Old Name) she is my minor daughter. That I have changed name of my daughter from Shrada Gupta (Old Name) to Shradha Gupta (New Name). All concerned please note.

RAM CHANDER GUPTA
*s/o Sh. Ram Lakhan,
Ward No.-2, Prem Ghat,
Theog, Tehsil Theog, (T) Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ishwar s/o Sh. Tek Ram, r/o Village Ghat, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.) do hereby declare that in Aadhar Card my daughter's name is wrongly entered as Chantna Thakur. It should be entered as correct name Chetna Thakur. Concerned please note.

ISHWAR
s/o Sh. Tek Ram,
r/o Village Ghat, P.O. Halog Dhami,
Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shakuntla Devi *alias* Sonam Bhatnagar d/o Sh. Kesria Ram, r/o Village Nanowal, P.O. Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare as under; that as per my voter Identity Card, School Leaving Certificate, my name is mentioned as Shakuntla Devi but after my marriage, my name has been changed from Shakuntla Devi to Sonam Bhatnagar in my in laws house. That now I have again changed my name from Sonam Bhatnagar to Shakuntla Devi d/o Shri Kesria Ram, and henceforth I may be known in the Name of Shakuntla Devi d/o Sh. Kesria Ram for all intents and purposes.

SHAKUNTLA DEVI,
alias SONAM BHATNAGAR,
d/o Sh. Kesria Ram,
r/o Village Nanowal, P.O. Khera,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manuj Chaudhary s/o Sh. Harnam Singh, r/o VPO Sahoura, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Anshul Choudhary s/o Manuj Choudhary to Anshul Chaudhary s/o Manuj Chaudhary for all purposes in future. Please note.

MANUJ CHAUDHARY
s/o Sh. Harnam Singh,
r/o VPO Sahoura,
Tehsil & District Kangra (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Rishi Chauhan s/o Sh. Vipin Singh, r/o Village Kasohal, P.O. Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that my name Rishabh Singh is wrongly entered in the Aadhar Card. Whereas my name is entered as Rishi Chauhan in other Government Documents. Rishi Chauhan is my correct name. This should be corrected. All concerned please may note.

RISHI CHAUHAN
*s/o Sh. Vipin Singh,
r/o Village Kasohal,
P.O. Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).*